

बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017



बिहार सरकार

उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017



बिहार सरकार

उद्योग विभाग
बिहार सरकार

विषय-सूची

1.	प्रस्तावना	1
2.	संकल्पना (विजन)	2
3.	नीति अवधि	2
4.	उद्देश्य	3
5.	परिभाषाएँ	4
6.	बिहार का नवारंभ (स्टार्ट-अप)	7
7.	स्टार्ट-अप को हॉ	8
8.	स्टार्ट-अप सहायता के लिए विनियामक को उन्मुक्त करना	10
9.	शिक्षा प्रणाली स्पंदन	12
10.	स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन केन्द्र को सुकर बनाना	13
11.	सांस्थिक ढाँचा	18
12.	सौहार्दपूर्ण वातावरण में की गई कार्रवाई से संरक्षण	23

1. प्रस्तावना :

- 1.1 बिहार आधारभूत संरचना को मजबूत एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए विकास के पथ पर तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। बिहार सरकार राज्य के आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सुधार एवं समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध है। नवीकरण के प्रोत्साहन एवं पारिस्थितिक तंत्र (इको सिस्टम) के सृजन द्वारा स्टार्ट-अप से अधिकार देने तक यह क्रियान्वित किया जा सके।
- 1.2 बिहार को अपनी जनसंख्या में युवा के उच्च अनुपात में दिए गए जनसंख्याकीय लाभांश का लाभ प्राप्त है; उनके लिए उत्पादक आर्थिक अंशदान हेतु नियोजन के अवसर सीमित हैं। युवा रोजगारोन्मुख समाज में प्रगति करता है जहाँ उद्यमिता को एक जीवनवृत्ति को विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसके अलावे वर्तमान शैक्षणिक तंत्र की रूपरेखा इस रीति से तैयार की गई है जिसमें उद्यमिता पर महत्व सीमित होता है।
- 1.3 इस स्टार्ट-अप की अति उत्तेजक विशेषताओं में एक विशेषता तीव्र गति से पैमाना बनाने और विश्वस्तरीय भागीदार बनने की योग्यता है। सफलता के मौके अत्यधिक बढ़ जाते हैं जब व्यवसाय परिस्थितिक तंत्र से समर्थित होते हैं। बिहार को स्वयं विश्व स्तर के पारिस्थितिक तंत्र एवं प्रतिभा विकसित करने का अवसर प्राप्त है। संसाधन और महत्वाकांक्षा राज्य में निश्चित रूप उपलब्ध हैं। बिहार में अर्थव्यवस्था के आविर्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की संभावना स्टार्ट-अप से है। इस परिच्छेद का विकास, संपूर्ण राज्य शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, वित्तीय समावेशन तथा नियोजन सृजन की राष्ट्रीय अनिवार्यताओं को पूरा करने में, अति संकटापन्न स्थिति में है। स्टार्ट-अप की नई लहर इस सामाजिक-आर्थिक कायापलट को पूरा करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।
- 1.4 बिहार में नवीकरण की महत्ता को जागृत करने के लिए प्रेरक एवं अनुकूल स्टार्ट-अप की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार का उद्देश्य इस नीति-संरचना के साथ-साथ निजी भागीदारी से, बिहार में स्टार्ट-अप पारिस्थितिक तंत्र का सर्वत्र विस्तार करना है। अतः बिहार राज्य में जी0एस0डी0पी0 उत्पादन को तेज करते हुए, हजारों-हजार रोजगार सृजन करने, बुद्धि अपक्षय की प्रक्रिया का प्रतिकार करने और आर्थिक प्रगति की अगली लहर को पुनर्जीवित करने में योगदान देना है।

- 1.5 बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टार्ट-अप नीति-2016 का सूत्रण कर संकल्प संख्या-1849 दिनांक-07.09.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और पारदर्शी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किये जाने हेतु है जहाँ राज्य द्वारा वित्त पोषण, प्रोत्साहन एवं नीतिगत समर्थन दिया जाना है। राज्य द्वारा रु0 500 करोड़ की प्रारंभिक कोष के साथ एक न्यास का स्थापना किया गया है जो इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।
- 1.6 राज्य सरकार द्वारा नीति के कार्यान्वयन में सुधार हेतु, नीति को और अधिक सहज बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016 को निरसित करते हुए बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. संकल्पना (विजन):

2.1 बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017 की संकल्पना:

राज्य में सम्मिलित प्रगति के लिए साधक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से संभावी स्थानीय युवाओं को लाभान्वित कर स्टार्ट-अप और उद्यमिता के लिए अति प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्य के रूप में बिहार को प्रकट होने में समर्थ करना;

2.2 बिहार स्टार्ट-अप नीति की रूपरेखा निम्नलिखित चार स्तम्भों पर तैयार की गई है:

हाँ – से आरंभ (जागरूकता, नेटवर्किंग तथा अनुकूल अभियान)।

छोड़ना – स्टार्ट-अप सहायक विनियामक समर्थकों को छोड़ देना।

स्पंदमान – स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित एवं सुकर करने हेतु शिक्षातंत्र में स्पंदन।

पहुँच – वित्त और उद्भवन सहायता तक पहुँच।

3. नीति अवधि:

बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा और 5 (पाँच) साल के लिए लागू रहेगा।

4. उद्देश्य:

- 4.1 विभिन्न कार्यक्रम यथा- “उद्यमी बिहार, बिहार अभियान उद्यमिता अवार्ड, चुनौतियाँ और व्यवसाय योजना प्रतिस्पर्धा इत्यादि के नवीकरण के माध्यम से युवाओं के मध्य उद्यमिता शिक्षा तथा जीवनवृत्ति को उपस्थापित करना, बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना।
- 4.2 प्रमंडलीय शहरों तथा नगर निगमों में उद्यमिता विकास केन्द्रों के विकास को और युवाओं के मध्य जागरूकता बढ़ाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यमिता सरलीकरण केन्द्रों को सुकर बनाना।
- 4.3 एक सेक्टर- अग्नोस्टिक का सृजन, सभी अथवा किसी संभावित विकास के सेक्टर में, ऐसे पहल पर जो राज्य के प्राकृतिक संसाधन और मानव पूँजी को बढ़ावा देने में सहायक हों, तथा उन क्षेत्रों में, जिनका गुणक प्रभाव सृजित हों, बड़ी मात्रा में संभावी प्रगति और पहल के साथ नवीकरणीय तथा विनाशक विचारों पर फोकस करते हुए, नवीकरण को समर्थ करना।
- 4.4 विश्व विद्यालय/विद्यालयों, एमओसी0 (मैसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्स) अन्य के मध्य इटर्नशीप में सीखने वाले मॉडलों के उपस्थापन द्वारा शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।
- 4.5 विद्यमान इन्क्यूबेटरों/सामान्य आधारभूत स्थलों के नए तथा सहायक विस्तारीकरण के विकास को सुकर बनाना।
- 4.6 वित्तीय सहायता (सेबी रजिस्ट्रीकृत-परिवर्तनकारी निवेश निधि पैन्लकृत देवदूत निवेशक इत्यादि) विनियामक सहायता, सलाहकार तथा पैन्लकृत प्रोजेक्ट प्रबंधक परामर्शदाताओं के नेटवर्क तक स्टार्ट-अप की पहुँच के लिए उच्च स्तर पर एक व्यापक मुख्य द्वार (पोर्टल) उपलब्ध करना।
- 4.7 स्टार्ट-अप के लिए हास्ले-फ्री तथा समयबद्ध कानूनी क्लियरेंस।
- 4.8 बहुबिभागी रास्तों तक पहुँच के लिए एक मंच का सृजन, जो बिहार में स्टार्ट-अप आधारित निवेश हेतु, प्रोत्साहनों के माध्यम से, वित्तीय सहायता तथा निवेशकों को प्रोत्साहन उपलब्ध कर सके।
- 4.9 एक साधक नीति का सृजन करना जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों महिला उद्यम तथा भिन्न रूप से योग्य जैसे समूह को किसी व्यापार में लगा सके।

- 4.10 स्टार्ट-अप के प्रशिक्षण को समर्थ बनाने हेतु समुचित सांस्थिक सहायता उपलब्ध करना।

5. परिभाषाएँ:

- 5.1 **देवदूत निवेशक:** देवदूत निवेशक (व्यापारिक देवदूत के रूप में जाना जाने वाला भी निवेशक) का अभिप्रेत है कोई व्यक्ति अथवा निवेशकों का समूह जो नवारंभों के आरंभिक दिनों में व्यावसायीकरण के लिए निवेश करता है जो परिवर्तनीय ऋण के रूप में होता है।
- 5.2 **वैकल्पिक निवेश निधि:** सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) नियंत्रण अधिनियम, 2012 की धारा-2(1) (बी) में वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफएस) को परिभाषित किया गया है। यह किसी निजी रूप से इकट्ठा की गई निवेश निधि (चाहे वह भारतीय अथवा विदेशी स्रोत से हो) ट्रस्ट अथवा कंपनी अथवा निकाय निगम अथवा सीमित दायित्व सहकारिता (एलएलपी) जो वर्तमान में सेबी प्रशासनिक निधि प्रबंधन (यथा म्युचुअल फंड अथवा सामूहिक निवेश स्कीम के नियमों से आच्छादित नहीं हो) और न तो भारत में आईआरडीए, पीएफआरडीए, आरबीआई में किसी अन्य सेक्टरल विनियामकों के सीधे विनियम के अधीन आता हो, के प्रति निर्देशित करता है।
- 5.3 **प्रथम श्रेणी वैकल्पिक निवेश निधि:** भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड विनियमन, 2012 की कंडिका-3(4)(a) में प्रथम श्रेणी वैकल्पिक निधि को परिभाषित किया गया है। यह निधि प्रारंभिक चरण के निवेशित स्टार्ट अप या प्रारंभिक चरण वेन्चर्स या सामाजिक वेन्चर्स या लघु, मध्यम उद्यम या आधारभूत या अन्य प्रक्षेत्रों या क्षेत्रों जिसमें सरकार के नियामकों द्वारा सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनिय एवं शामिल किये गये वेन्चर कैपिटल फंड, एस.एम.ई. फंड, सामाजिक वेन्चर फंड, बुनियादी ढांचे से संबंधित फंड या इस तरह के वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश किया गया हो।
- 5.4 **वाणिज्यीकरण चरण:** वाणिज्यीकरण चरण स्टार्ट-अप के जीवन चक्र में एक अभिन्न चरण को निर्देशित करता है जिसमें व्यापारिक उत्पाद/सेवा को वाणिज्यीकरण को गति प्रदान किया जाता है।
- 5.5 **विशेषज्ञ समिति:** बिहार स्टार्ट अप नीति, 2017 की कंडिका-11.6 के आलोक में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।

- 5.6 **दिव्यांग:** इसकी परिभाषा वही होगी जो निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में अथवा निःशक्त व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिनियमित किसी अन्य कानून में परिभाषित की गई है।
- 5.7 **अस्तित्व:** अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनीज अधिनियम, 2013) अथवा (भारतीय सहकारिता अधिनियम, 1932 के अधीन) अथवा परिसीमित दायित्व सहकारिता (परिसीमित दायित्व सहकारिता एक्ट, 2008) के अधीन निबंधित एक निबंधित सहकारिता संस्था निदेशित करता है।
- 5.8 **पारिवारिक व्यवसाय:** पारिवारिक व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसमें अधिकांश हिस्से का धारक वह व्यक्ति होता है जिसने कंपनी स्वयं अथवा अपने पिता, पत्नी, बच्चे अथवा उनके बच्चों के सीधा उत्तराधिकार) से स्थापित अथवा अर्जित की हो और उस परिवार का कम से कम एक प्रतिनिधि (प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से) व्यापारिक प्रशासन-प्रबंधन में लगा हुआ हो।
- 5.9 **वित्तिय प्रबंधन कंपनी:** बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट की कंडिका-11.3 के कम में एक वित्तिय प्रबंधन कंपनी का गठन किया जायेगा।
- 5.10 **निधि प्रबंधक:** वित्तिय प्रबंधन कंपनी द्वारा एक या एक से अधिक निधि प्रबंधकों की नियुक्ति की जायेगी जो निधि और इस नीति के अधीन उल्लिखित कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए, कार्य करेगा।
- 5.11 **सरकार:** सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, जब तक कि इस नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।
- 5.12 **विचार-चरण:** विचार चरण स्टार्ट-अप के जीवन चक्र में समग्र चरणों को निर्देशित करता है जिसमें विचारों की सफलता/असफलता के मूल्यांकन हेतु विचारों का व्यवहारिक विश्लेषण किया जाता हो।
- 5.13 **इनक्यूबेटर:** इनक्यूबेटर से अभिप्रेत है ऐसी भौतिक जगह जो लाभकारी एवं जोखिम लेकर व्यापारिक योजना बनाने, मॉनिटर करने, अपना उच्च स्तरीय दल बनाने, अपने प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण करने, अपने उत्पाद का विकास करने, आरंभिक बीज निधि को प्राप्त करने, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सहभागिता में सहायता करने प्रतिभावन संपदा के विषय में परामर्श देने, प्रशिक्षण और विकास एवं अन्य विषयों पर सफल होने में उद्यमियों के विचारों को बदलने में सहायता करें। यह एक निजी एजेंसी अथवा एक सरकारी संस्थान भी हो सकता है।

- 5.14 **मेन्टरिंग:** मेन्टरिंग सामान्य रूप से एक औद्योगिक विशेषज्ञों/अकादमिक सदस्यों का संघ है जो स्टार्ट-अप को, बिना पूर्वाग्रह के, मार्गदर्शन, अनुकूल सहायता और अपने नेटवर्क बनाने में, सोच और सहायता द्वारा, उनको मदद करेगा।
- 5.15 **निबंधित:** “निबंधित” से अभिप्रेत है कंपनी रजिस्ट्रार से निबंधित अस्तित्व।
- 5.16 **बीज अनुदान:** “बीज अनुदान” से अभिप्रेत है आदिरूप उत्पाद के विकास एवं पश्चात्पूर्ति पूर्ण निधि के लिए पर्याप्त निवेशकों की अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु स्टार्ट-अप को दिया गया वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता की नियम एवं शर्तें कंडिका-10.5.1 के अनुरूप रहेगी।
- 5.17 **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमसे अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आंशिक भागीदारी को अनुसूचित जाति/जनजाति का उद्यम नहीं माना जाएगा।
- 5.18 **राज्य संपोषित इक्यूबेटर:** “राज्य संपोषित इक्यूबेटर” से अभिप्रेत है बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा संपोषित इनक्यूबेटर।
- 5.19 **टीबीआई:** “प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर” से अभिप्रेत है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यता प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर।
- 5.20 **न्यास (ट्रस्ट):** “न्यास” से अभिप्रेत है भारत ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अधीन उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए गठित कोई नोडल एजेंसी;
- 5.21 **विधिमान्यकरण चरण:** “विधिमान्यकरण चरण” से अभिप्रेत है स्टार्ट-अप के जीवनचक्र में कोई समाकलित चरण जिसमें उत्पाद/सेवा का उत्पादन होता है और सीमित क्षमता में परिदत्त किया जाता है और जो सफलता और आवश्यकता के पैमाने के अनुसार बदलता है;
- 5.22 **जोखिम पूँजी:** जोखिम पूँजी से अभिप्रेत है वाणिज्यीकरण चरण में जोखिम पूँजी कंपनी द्वारा ली गई परियोजना के संकटापन्न मूल्यांकन पर स्टार्ट-अप में निवेशित निधि। यह पूँजी सामान्य रूप से संपत्ति मूल्य पर हिस्सेदारी की वापसी में निवेशित की जाती है;

- 5.23 **महिला उद्यम:** “महिला उद्यम” से अभिप्रेत है ऐसा उद्यम जिसका प्रमुख महिला हो और जहाँ 100 प्रतिशत जोखिम महिला की हो। किसी उद्यम में महिलाओं की आंशिक भागीदारी महिला उद्यम नहीं माना जाएगा।

6. बिहार का नवारंभ (स्टार्ट-अप):

- 6.1 स्टार्ट-अप से अभिप्रेत है बिहार में समावेशित और निबंधित कोई अस्तित्व, जिसका वार्षिक लेन-देन पाँच वर्ष पूर्व की अवधि में किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपया से अधिक नहीं हो और जो प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपत्ति द्वारा नवीकरण अथवा विकास या नए उत्पादों के वाणिज्यीकरण प्रक्रिया अथवा सेवा का कार्य कर रहा हो;

(क) परंतु यह अस्तित्व इस नीति के अधीन आगे लाभ प्राप्त करेगी यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका वार्षिक लेन-देन 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो और जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, यह समावेशन/निबंधन की तिथि से 5 वर्ष पूरा न कर लिया हो;

(ख) परंतु और कि ऐसे अस्तित्व का गठन पहले से विद्यमान व्यवसाय अथवा पुर्नसंरचना द्वारा, नहीं हुआ हो और यह पहले से विद्यमान व्यवसायक के सम्मिलन अथवा पुनर्गठन द्वारा गठित नहीं होना चाहिए;

(ग) परंतु और भी कि ऐसा अस्तित्व होल्डिंग न हो और यह पहले से विद्यमान किसी फर्म का, किसी स्टार्ट-अप के सहायक को छोड़कर, सहायक न हो;

(घ) परंतु और भी कि कंपनी के प्रचालन के लिए लागू कर बिहार में भुगतेय हों।

6.2 स्टार्ट-अप का प्रमाणीकरण:

न्यास द्वारा प्राप्त संभावित स्टार्ट-अप के सभी आवेदनों की प्रारम्भिक समीक्षा प्रधान सचिव/सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जायेगी। यह समिति ट्रस्ट द्वारा गठित की जायेगी। प्रारम्भिक समीक्षा के उपरान्त चयनित आवेदनों को सूचीबद्ध किया जायेगा एवं संबंधित विषय के इन्क्यूबेटर के साथ उसे संबद्ध किया जायेगा। चयन एवं सूचीबद्ध किये गये आवेदन एवं संबद्ध किये गये इन्क्यूबेटर की सूची ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित की जायेगी। इक्व्यूबेशन प्रक्रिया के उपरान्त इन्क्यूबेटर द्वारा निम्न बिन्दुओं पर एक प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

- क) विभिन्न चरणों में वित्त पोषण सहायता राशि की आवश्यकता।
- ख) इस नीति के तहत आम बुनियादी ढाँचे या अन्य बुनियादी ढाँचे के तहत आवश्यकता।
- ग) इस नीति के अन्तर्गत परिकल्पना की गई किसी भी सहायता।
- घ) व्यापार योजना।

इस प्रकार इन्क्यूबेटर द्वारा अनुशंसित/प्रस्तावित सूची को कंडिका 11.6 में उल्लिखित विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जायेगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसाओं की जाँच करेगी एवं स्टार्ट-अप के प्रमाणन हेतु अपनी अनुशंसा करेगी। ट्रस्ट द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर स्टार्ट-अप को प्रमाणित करेगी। प्रमाणन के उपरान्त नीति के अन्तर्गत स्टार्ट-अप वित्तीय प्रोत्साहन के प्रात्र होंगे।

6.3 बहिर्गमन की शर्तें:

- (क) धोखाधड़ी के किसी आरोप में यदि कंपनी दोषी पाई जाती है अथवा कंपनी इस नीति के अधीन लाभ पाने के लिए किसी तरह की गई मिथ्या घोषणाएँ पाई जाती हैं तो उस अस्तित्व की उपलब्ध की गई सभी वित्तीय सहायता की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
- (ख) यदि स्टार्ट-अप के रूप में होने वाली मान्यता एक बार समाप्त हो जाती है, तो सरकार या अस्तित्व जिसके माध्यम से सरकार अपनी पूँजी/निवेश करती है, स्टार्ट-अप से अपनी पूँजी बहिर्गमन न्यास द्वारा स्टार्ट-अप में करने हेतु पात्र होगा और चैनल बनाकर निवेश के लिए बहिर्गमन हेतु मार्गदर्शन का निर्माण किया जाएगा। जब सरकार या उनके प्रतिनिधि अस्तित्व का अपना निवेश विद्यमान हों तो स्टार्ट-अप के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा।

7. स्टार्ट-अप को हॉ:

- 7.1 उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान के माध्यम से जागरूकता फैलाना और स्टार्ट-अप के लिए नेटवर्किंग को सुकर करना।

बिहार को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में उच्च संख्या में युवा वर्ग प्राप्त है और उत्पादक आर्थिक योगदान करने हेतु उनके लिए रोजगार के अवसर

सीमित हैं। भारत में युवाओं का विकास व्यवसायोन्मुखी समाज में होता है जहाँ जीवन वृत्ति के विकल्प के रूप में उद्यमिता को नहीं देखा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा तंत्र की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है जिसमें उद्यमिता पर सीमित जोर दिया जाता है। सरकार उद्यमिता को जनसंख्या के सभी आर्थिक एवं सामाजिक खंड के युवा के लिए, शिक्षा एवं रोजगार के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु कृतसंकल्पित है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जाए जिससे उद्यमिता का सकारात्मक पक्ष उजागर होता हो ताकि समाज के समावेशी आर्थिक विकास की प्राप्ति में यह महत्वपूर्ण कारक बने। उद्यमशीलता के प्रति समाज की सांस्कृतिक अनुभूति और युवाओं में उद्यमशीलता संस्कृति का सुधार करने के लिए, सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी:

- (क) स्टार्ट-अप शेयरधारकों की सहभागिता से राज्य स्तर पर उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार जागरूकता अभियान चलाएगी;
- (ख) सफल स्थानीय स्टार्ट-अप को मान्यता देगी और उसे प्रोत्साहित करेगी;
- (ग) राज्य स्तर पर चुनौती/व्यवसायिक योजना प्रतियोगिता का आयोजित करेगी;
- (घ) स्टार्ट-अप मेला जैसे स्टार्ट-अप जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु व्यवसायिक नेटवर्क (औद्योगिक संघ स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने वाले संगठन) को सहायता देगी;

7.1.1 विभिन्न जोखिम उठाने वालों, जैसे निवेशक, शिक्षाविद, उद्यमी एवं अन्य जोखिम उठाने वालों के बीच उचित नेटवर्क बनाना होगा। स्टार्ट-अप समुदाय को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय एवं सहयोग देने के लिए प्रवेश करने एवं संसूचित करने हेतु एक मंच की आवश्यकता है।

7.1.2 सरकार प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के लिए बिहार स्टार्ट-अप उत्सव का एक मंच आयोजित करेगी जो स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को समायोजित करेगा और राज्य स्टार्ट-अप को सक्षमता देगा।

7.2 विचार विकास हेतु सहायता :

उत्प्रेकर स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र युवाओं को अपने विचारों को अर्थपूर्ण साध्य में परिवर्तित करने हेतु समर्थ बनाती है। युवाओं को एक समुचित मार्गदर्शन प्रणाली की आवश्यकता है ताकि वे अपने विचारों को विकसित एवं

अभिव्यक्त कर सकें। संभावित उद्यमियों के बीच जागरूकता फैलाने और मार्गदर्शन उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता सुकर बनाने हेतु प्रावधान करेगी।

(क) प्रमंडलीय शहरों एवं नगर निगम क्षेत्रों में, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्ट-अप प्रोत्साहित करने वाले बिहार आधारित औद्योगिक संघों/संगठनों की सहायता से, स्टार्ट-अप उद्यमिता विकास कोषांगों की स्थापना करना;

(ख) शैक्षणिक और पेशेवर संस्थानों में उद्यमिता सहायता केन्द्र की स्थापना करना।

7.2.1 ये कोषांग निम्नलिखित करेंगे:

(क) उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान के अधीन राज्य में उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता और स्टार्ट-अप संस्कृति फैलाने हेतु विभिन्न तरह के प्रोत्साहक कार्यक्रम आयोजित करना;

(ख) स्टार्ट-अप पारस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जोखिम उठाने वालों यथा, सरकार शैक्षणिक संस्थाएं, इनक्यूबेटर उद्योग विशेषज्ञ, विधिक, कर एवं व्यवसाय सलाहकारों के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने और बढ़ाने के लिए छात्रों/संभावित उद्यमियों को सहायता उपलब्ध करना;

(ग) आरंभिक अनुकूलता एवं व्यवसाय योजना सहायता कंपनी-निबंधन बाजार शोध सहायता, व्यवसाय संरचनात्मक परामर्श एवं प्रबंधन संबंधी परामर्श के लिए स्टार्ट-अप को सहायता करना।

8. स्टार्ट-अप सहायता के लिए विनियामक को उन्मुक्त करना :

8.1 बिहार में स्टार्ट-अप पारस्थितिकी तंत्र के लिये व्यापक एकल पोर्टल की स्थापना

स्टार्ट-अप के प्रचालन आरंभ करने के लिए सुसंगत विनियामक प्राधिकारों से कानूनी क्लियरेंस आवश्यक है। प्रक्रियाओं की सीमित जागरूकता निबंधन एवं अन्य औपचारिक कार्यों के लिए, समय में वृद्धि करती है, अतएव स्टार्ट-अप के लिए प्रचालन के आरंभ में विलंब होता है। परस्पर क्रिया प्रशिक्षण हस्तक और चेकलिस्ट द्वारा समर्थित सिंगल विंडोक्लियरेंस प्रणाली स्टार्ट-अप को ससमय आसान रीति से निबंधित करने में, समर्थ करेगी।

स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को परस्पर क्रिया और सहयोग के लिए एक एकल मंच की आवश्यकता है। विभिन्न जोखिम उठानेवालों की परस्पर क्रिया एवं सूचना आदान-प्रदान करने हेतु एवं एकल मंच स्थापित करने के लिए एक स्टार्ट-अप बिहार मुख्य द्वारा आरंभ किया जाएगा। यह मुख्य द्वारा तत्क्षण निम्नलिखित के लिए सुगमता उपलब्ध करेगा:

- (क) विनिर्दिष्ट समय-सीमा में अपेक्षित विभिन्न क्लियरेंस के लिए निबंधन प्रक्रिया और चेक लिस्ट के लिए परस्पर क्रिया-उपशिक्षणों की सुगमता;
- (ख) सुसंगत प्राधिकार से निबंधन कराना एवं मानक प्ररूपों के माध्यम से राज्य स्तरीय विभिन्न अनुपालन को दाखिल करना;
- (ग) पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जोखिम उठाने वालों से जोड़ने के लिए इस मुख्य द्वारा को भारत सरकार द्वारा अनुदानित अन्य स्टार्ट-अप मुख्य द्वारा से जोड़ा जायेगा;
- (घ) जोखिम उठाने वालों, यथा-निबंधित बुद्धिमान परामर्शदाताओं, नेटवर्क, पेशागत विशेषज्ञ, इनक्यूबेटर, शिक्षा जगत नामिका में परियोजना प्रबंधन परामर्शी, देवदूत निवेशक सेबी में निबंधित एआईएफएस (वैकल्पिक निवेश निधि) एवं अन्य जोखिम उठाने वालों से परस्पर क्रिया करना और सहयोग देना;
- (ङ.) विकास एवं मापकमणीयता की संभावना वाले स्टार्ट-अप्स के लिए सूचीबद्ध नेटवर्क्स के अनुभवी परामर्शदाता;
- (च) स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं और प्रोत्साहनों तक पहुँच बनाना;

यह मुख्य द्वारा मोबाईल एप के रूप में उपलब्ध होगा और टोल-फ्री सहायता एवं आवेदन/सहायता को सुकर बनाने हेतु उपलब्ध होगी। निबंधन आवेदन का क्लियरेंस समयवद्ध रीति से सुनिश्चित किया जायेगा।

8.2 विनियामकीय ढाँचा का आशावादी होना- स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनियामक वातावरण समर्थ करना

एक व्यवसाय आरंभ करने के पूर्व विभागीय अनुमोदन एवं क्लियरेंस के विभिन्न चरण होते हैं। अधिकतर स्टार्ट-अप इन जटिल नीतियों और विनियामक ढाँचे से अनभिज्ञ रहते हैं जिसके कारण उनके नियमित प्रचालन में बाधा हो सकती है। इसलिए सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि विनियामक अनुपालनों की

दण्डात्मक कार्रवाईयों को कम करे और अगले चरण की आर्थिक वृद्धि में इन नोदकों से संबंधित जागरूकता/सहायता उपलब्ध करें। उपर्युक्त के साथ-साथ सरकार निरीक्षण कम करके एवं स्व-प्रमाणन को बढ़ावा देकर व्यवसाय करने की सहूलियत में वृद्धि करें।

- (क) स्टार्ट-अप को पाँच वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न राज्य अधिनियमों के अधीन प्रचालन अनुज्ञप्ति/निबंधन से छूट होगी। हालाँकि, यदि स्टार्ट-अप द्वारा यदि ऐसा व्यवसाय/कार्य किया जाता है जिसमें जीवन के खतरा अथवा सुरक्षा का भय हो, तो उसे कानूनी अनुज्ञप्ति (यथा दवा अनुज्ञा पत्र, एफएसएसआई, भवन योजना, अग्निशमन) लेने की अनिवार्यता होगी और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति पर आनेवाले खर्च का वहन सरकार करेगी।
- (ख) पाँच वर्षों की अवधि के लिए सरकारी विनियामक ऐजेंसियों द्वारा निरीक्षण से स्टार्ट-अप को तबतक छूट होगी जब तक जीवन और सुरक्षा पर खतरा का भय न हो। कतिपय कारणों से किसी इकाई का निरीक्षण करना हो तो जिला पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- (ग) राज्य द्वारा विहित प्रपत्रों के अनुसार स्टार्ट-अप द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।
- (घ) उत्पाद/सेवा उत्पादित प्रक्रिया में स्टार्ट-अप के अधिमानता देने हेतु राज्य सरकार के विभागों पब्लिक सेक्टर उपक्रम को सलाह दी जाएगी।
- (ङ) राज्य सरकार आगामी औद्योगिक पार्क एस0एम0ई0 क्लस्ट और हब के स्थलों में से 10 प्रतिशत, स्टार्ट-अप, इनक्यूबेटर और कॉमन आधारभूत संरचना को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करेगी।

9. शिक्षा प्रणाली स्पंदन:

शिक्षा संस्थान नवीकरण संस्कृति को बढ़ाव देने के लिए उद्यमशीलता का परिचय कराने एवं शिक्षा देने हेतु एक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करेगा जिसे सरकार छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना सृजित करने के लिए शिक्षा में सुधार को मान्यता देती है।

बिहार के युवाओं में स्टार्ट-अप संस्कृति विकसित करने के लिए सरकार निम्नलिखित हस्तक्षेप के सुकर बनाएगी एवं अनुशंसा करेगी:

- (क) उच्च विद्यालय, विश्वविद्यालय, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्यमिता मॉड्यूल अंतः स्थापित करना। शैक्षणिक संस्थानों को मैसिव ओपन ऑनलाईन कोर्स (एमओओसी) को वैकल्पिक विषय के रूप में परिचय कराने की सलाह दी जाएगी। इटर्नशीप और अप्रेंटिशीप अनिवार्य करना।
- (ख) छात्रों को उद्यमिता में लगने हेतु मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए शिक्षा/पेशावर संस्थानों को उद्यमिता सहायता केन्द्र बनाने में मदद की जाएगी।
- (ग) छात्रों के बीच व्यवसाय नवीकरण विचार प्रतियोगिता का आयोजन करना। इन विचारों में से चिन्हित विचारों को आदिप्ररूप के लिए सहायता की जाएगी और इन विचारों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले उत्सव में प्रसारित भी किया जाएगा।
- (घ) उद्यमिता विकास कोषांग (सेल) के माध्यम से 20 सामाजिक नव प्रवर्तकों को उनके विचारों के समर्थन में, चुनौती अनुदान दिया जाएगा।

10. स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन केन्द्र को सुकर बनाना:

10.1 स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन सेन्टर की व्यवस्था:

आशाजनक स्टार्ट-अप के पोषण के लिए इक्यूबेशन केन्द्र होना आवश्यक है। इनसे सुगमता, परामर्शदाता नेटवर्क बाजार, नेटवर्क, भौतिक आधारभूत संरचना आदि तक सुगमता होती है। भौतिक आधारभूत संरचना के सृजन के लिए सामान्यतया बड़ी मात्रा में पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस पर विचार करते हुए स्टार्ट-अप को निम्नलिखित प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी:

- (क) नए इक्यूबेटर्स के स्थापन के लिए वित्तीय सहायता तथा राज्य समर्थित इनक्यूबेटर का विस्तार करना;
- (ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/राज्य समर्थित स्टार्ट-अप को इक्यूबेट करने हेतु अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति इनक्यूबेटी की दर से व्यय की प्रतिपूर्ति।
- (ग) सेबी निबंधित एआईएफएस (वैकल्पिक निवेश निधि) से बिहार आधारित स्टार्ट-अप में प्राप्त निवेश का 2 प्रतिशत की दर से इनक्यूबेटर्स को सरकारी प्रोत्साहन;

- (घ) सेबी निबंधित एआईएफएस (वैकल्पिक निवेश निधि) से राज्य समर्थित इनक्यूबेटी को प्राप्त निवेश अथवा प्रौद्योगिकी आधारित (आईपीआर) प्रोत्साहन के लिए स्टार्ट-अप को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का 3 प्रतिशत और स्वास्थ्य शिक्षा पोषण आदि जैसे बिहार में सार्वजनिक सेवा-सुगमता की समस्याओं का समाधान उपलब्ध करने हेतु सामाजिक क्षेत्र के स्टार्ट-अप के लिए स्टार्ट को पाँच प्रतिशत की दर से सरकारी अनुदान;
- (ङ) सरकार भारत सरकार और बहुपक्षीय दानदाता एजेंसियों से उगाही की गई निधि पर 1:1 आधारित अनुदान उन्ही नियमों एवं शर्तों पर उपलब्ध करायेगी।

10.2 राज्य समर्थित मेजबान संस्थाओं की सूची:

पायलट संस्थाएँ (चरण-1)

- (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पटना
- (ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना

मेजबान संस्थाएँ (चरण-2)

- (ग) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
- (घ) पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पटना
- (ङ) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलाजी (एनआईएफटी), पटना
- (च) बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, पटना
- (छ) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), बिहार
- (ज) उपेन्द्र महारथी इंस्टिट्यूट, पटना
- (झ) चन्द्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना
- (ट) टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, पटना
- (ठ) बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर
- (ड) एपैरेल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, पटना

पायलट संस्थाएँ अन्य राज्य समर्थित मेजबान में इनक्यूबेटरों को स्थापित करने में सभी संभव हैंडहोल्डिंग समर्थन का विस्तार चरणबद्ध रीति से करेगी। राज्य सरकार, समय-समय पर, इस नीति के अधीन नई संस्थाओं को राज्य समर्थित संस्था घोषित करेगी।

10.3 स्टार्ट-अप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना

स्टार्ट-अप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना का सृजन सुकर बनाएगी। इसमें निम्नलिखित साझा आधारभूत संरचना शामिल होगी:

- (क) साथ-साथ काम करने के लिए जगह;
- (ख) शोध एवं विकास प्रयोगशाला, घन कोष्ठिका, सभागार आदि जैसी साझी सुविधाओं को उपलब्ध करना;
- (ग) उच्चगति क्षमता वाला प्रिंटर, कम्प्यूटर इत्यादि जैसे साझा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर;
- (घ) कॉमन जॉच प्रयोगशाला और औजार कक्ष
- (ङ) कानूनी, खाता-बही, तकनीकी, पेटेंट, निवेश बैंकिंग आदि जैसी साझी सेवाएँ;
- (च) व्यक्तिगत उपयोग हेतु कक्ष एवं छात्रावास;
- (छ) इनक्यूबेशन और स्टार्ट-अप के लिए सामुदायिक आयोजन एवं प्रोत्साहन समर्थन
- (ज) कॉमन सुविधा केन्द्र (माल गोदाम, भंडारगृह, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला);

सरकार द्वारा अथवा पी0पी0 मोड के माध्यम से संयुक्त आधारभूत संरचना स्थल का निर्माण किया जाएगा। यह स्टार्ट-अप का तीन वर्षों की अवधि के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी।

- 10.4 इनक्यूबेशन केन्द्र के अतिरिक्त “**बिहार इनक्यूबेशन हब**” का विकास, अधिमान रूप से पी0पी0पी0 ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की जाने वाली जीवन क्षमता के आधार पर किया जाएगा जो की सभी सेवाएँ उपलब्ध कार्य स्थल, पेशागत व्यवसाय सलाह/परामर्श निधि तक पहुँच सहित एक इनक्यूबेटर की सभी सेवाएँ उपलब्ध करेगा और अन्य के बीच नेटवर्किंग तथा विलयन एवं अर्जन, परामर्श, मूल्यांकन सहित वाणिज्यीकरण चरण पर सहायता उपलब्ध भी करेगा। इस इनक्यूबेशन हब प्रभावोत्पादक एवं चहुमुखी विस्तार किया जाएगा।

10.5 स्टार्ट-अप को निधि की सहायता:

स्टार्ट-अप को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में निधि की सहायता उपलब्ध की जाएगी।

विधिमान्यकरण चरण :

- 10.5.1 **बीज निवेश सहायता:** इनक्यूबेशन सेन्टर तथा न्यास (ट्रस्ट) द्वारा परिभाषित माइलस्टोन/फेज एवं उपलब्धि मापदंड से जुड़ी भुगतान अनुसूची से; प्रति स्टार्ट-अप 10 लाख रुपये तक 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त लोन वित्तीय सहायता के रूप में इनक्यूबेशन सेन्टर एवं ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित लक्ष्य/चरणों में किये गये प्रदर्शन के आधार पर विमुक्त की जायेगी। यह वित्तीय सहायता विचारों के विधिमान्यकरण, आदि प्ररूप विकास, यात्रा खर्च सहायता तथा क्षेत्र बाजार शोध, कौशल प्रशिक्षण, मार्केटिक तथा स्टार्ट-अप इत्यादि स्थापित करने हेतु आरंभिक क्रियाकलापों के लिए स्टार्ट-अप को उपलब्ध किया जाएगा। वास्तविक वित्त पोषण की मात्रा इनक्यूबेशन केन्द्र एवं विशेषज्ञ समिति के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। स्टार्ट अप में कुल बीज अनुदान की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि इनक्यूबेटी का भी योगदान होगा एवं ऋण 10 साल के उपरान्त वापस किया जा सकेगा।

वाणिज्यीकरण चरण:

10.5.2 आरंभिक चरण में वित्तीय सहायता:

- (क) स्टार्ट-अप के लिए मुफ्त मूल्यांकन;
- (ख) देवदूत निवेशकों तक पहुँच सुकर बनाना;
- (ग) राज्य द्वारा निबंधित देवदूत निवेशकों से आरंभिक राज्य निधि की ओर निवेश को मोक्लाइजिंग के लिए निवेश के 2 प्रतिशत की दर से सफलता फीस स्टार्ट-अप को उपलब्ध की जाएगी।
- (घ) एंजेल ग्रुप एवं श्रेणी-1 के वैकल्पिक निवेश निधि द्वारा स्टार्ट अप में किये गये निवेश की राशि के बराबर स्टार्ट अप को वित्तीय प्रोत्साहन ऋण के रूप में प्रदान किया जायेगा ऋण का ब्याज दर एवं नियम एवं शर्तें समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा अधियूचित की जायेगी।

10.5.3 वित्तीय सहायता का स्केल अप:

- (क) न्यास के माध्यम से सेबी अधिकृत एआईएफएस (वैकल्पिक निवेश निधि)

एवं वेन्चर कैपिटल फंड के रूप में 25 प्रतिशत तक सिमित भागीदारी कर सकती है। निर्मित वेन्चर कैपिटल फंड द्वारा कम से कम 50 प्रतिशत (वेन्चर कैपिटल फंड में ट्रस्ट द्वारा किये गये निवेश की राशि के दुगुणी राशि के बराबर)राशि का निवेश बिहार में अवस्थित स्टार्ट अप के लिए किया जायेगा।

- (ख) ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय बीएसई/एनएसई, जैसे के स्तर के स्टॉक एक्सचेंज, सहयोग से स्टार्ट-अप के सूचीबद्धकरण और सार्वजनिक मुद्दों को सुकर बनाएगी। लागू बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों के अधीन स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन उपलब्ध होगी। हालांकि एक से अधिक बार प्रोत्साहन के लिए दावा एक ही कंपोनेंट के लिए नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध सुसंगत लिवर लाभ हेतु प्रयास किए जाएंगे।

10.6 देश और विदेश में पेटेंट दाखिल करने के लिए शून्य खर्च :

बौद्धिक संपदा (आईपी) स्टार्ट-अप अथवा उद्यमियों के लिए किसी के व्यवसाय को आरंभिक स्टार्ट-अप उपलब्ध करना एक अमूल्य व्यवसाय उपकरण है। बौद्धिक संपदा सृजनकर्ता का किसी खास अवधि के लिए अपने सृजन का उपयोग करने के लिए अनन्य अधिकार प्रदान करता है। व्यापार के नए रास्तों की वृद्धि से, बौद्धिक संपदा, वर्तमान धन चालकों की कुंजियों में से एक कुंजी हो गई है। आज के प्रतियोगी एवं गतिशील वातावरण में, बौद्धिक संपदा, उत्पाद या सेवा की अद्वितीय विक्रय प्रस्तावना (यूएसपी) अपने प्रतियोगी से अधिक तेजी से स्टार्ट-अप के लिए, बड़ी प्रवेश बाधा को पार करते हुए, हो सकती है। निवेशक बौद्धिक संपदा पर काफी जोर देते हैं और जोखिम के लिए अच्छे मूल्यों का सृजन करते हैं। स्टार्ट-अप द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के निबंधन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एवं बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा एवं वाणिज्यीकरण हेतु सहायता सुकर बनाने हेतु सरकार निम्नलिखित के लिए प्रावधान करेगी:

- (क) देशी पेटेंट दाखिल करने से संबंधित सभी खर्च वहन करने;
- (ख) दिए गए विदेशी पेटेंट मद्दे दाखिलीकरण फीस के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करने।

10.7 अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला एवं दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता :

निम्नलिखित सहायता सिर्फ उन स्टार्ट-अप के लिए लागू होगी जिनका (पूर्ण

रूप से) स्वामित्व इस कोटि के व्यक्ति अथवा केवल इस कोटि में परिभाषित व्यक्ति के समूह/मेलजोल का हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पहचान करने और उनके बीच उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

10.7.1 ट्रस्ट एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना, उनके जोखिम को स्थापित करने में विनिर्दिष्ट रूप से पकड़ बनाने के लिए, की जाएगी।

10.7.2 इस कोटि के अधीन उद्यमियों को इस नीति के खंड 10.5.1 और 10.5.2 के अधीन नियत सीमा से अधिक अतिरिक्त अनुदान/उन्मुक्ति आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे।

(क) महिला उद्यमी-अतिरिक्त 5 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति-अतिरिक्त 15 प्रतिशत

(ग) दिव्यांग-अतिरिक्त 15 प्रतिशत

10.7.3 इसके अतिरिक्त स्टार्ट-अप की निधि के लिए की गई कुल संग्रह राशि (कार्पस) का 22 प्रतिशत (20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/2 प्रतिशत जनजाति) अनुसूचित जाति एवं जनजाति जातियों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।

10.7.4 आवश्यकता के आधार पर, जैसा कि कंडिका संख्या-6.1 में वर्णित है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला और दिव्यांग स्टार्ट-अप को प्रमाणित करने के लिए सरकार मानदंडों को शिथिल करेगी।

11. सांस्थिक ढाँचा:

11.1 न्यास (ट्रस्ट) किसी पेशेवर व्यक्ति, जिसे कंपनी में निवेश का अनुभव हो, की अध्यक्षता में गठित एक स्वायत्त निकाय होगा। न्यास (ट्रस्ट) की संरचना निम्नलिखित से होगी:

निवेश के क्षेत्र में विशेषज्ञ अन्यथा विकास आयुक्त सरकार द्वारा ऐसी नियुक्ति होने तक	अध्यक्ष
प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग	सदस्य सचिव
प्रधान सचिव, वित्त	सदस्य
प्रधान सचिव, योजना	सदस्य
प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी	सदस्य

सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होने वाले दो प्रधान सचिव/सचिव	दो सदस्य
निदेशक, आईआईटी, पटना, निदेशक, एन.आई.आई.टी., पटना निदेशक, सी.आई.एम.पी., पटना	तीन सदस्य
उद्यमिता को प्रोत्साहित करनेवाले संघों, संगठनों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि	तीन सदस्य
विशेष आमंत्रित सदस्य (विषय/सेक्टर विशेषज्ञ)	दो सदस्य
वित्तीय प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि	दो सदस्य

11.2 सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति :

स्टार्ट-अप द्वारा अपेक्षित सभी वैधानिक अनुज्ञा पत्र क्लियरेंस (इस नीति के अधीन यदि अन्यथा उन्मुक्त न किए गए हों) प्राथमिकता के आधार पर सुकर बनाए जाएंगे। समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी:

- (क) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग
- (ख) संबंधित विभागों के प्रतिनिधिगण।

यह समिति इस नीति में यथा उल्लिखित सभी विषयों के लिए समयबद्ध क्लियरेंस सुनिश्चित करेगी।

11.3 वित्तीय प्रबंधन कंपनी

ट्रस्ट द्वारा अपने वित्तीय संचालन को सुगम रूप से संचालित करने हेतु एक वित्तीय प्रबंधन कंपनी की स्थापना करेगी जो स्टार्ट अप को प्रोत्साहन, ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता ट्रस्ट के माध्यम से विमुक्त करने पर निर्णय लेगी।

11.4 ट्रस्ट की भूमिका :

इस स्टार्ट-अप नीति के लिए, ग्रंथिक (नोडल) एजेंसी होने के नाते, ट्रस्ट को निम्नलिखित भूमिका एवं जिम्मेवारियाँ सौंपी जाएगी:

- (क) बिहार के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का प्रबंधन;
- (ख) उद्यमिता विकास इकाई और उद्यमिता सहायता केन्द्रों को सहायता पहुँचाना;
- (ग) स्टार्ट-अप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना का सृजन और प्रबंधन करना;

- (घ) शिक्षा में उद्यमिता प्रोत्साहित करने हेतु सुधारों की अनुशंसा करना;
- (ङ) स्टार्ट-अप के कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के लिए अपने हिसाब से तालिका का निर्माण करना ताकि गुणवत्ता के आधार स्टार्ट-अप की परख, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्र स्तर की बेंच मार्किंग द्वारा, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता को लीक पर लाने हेतु व्यवसायकृत इन्डेक्स का सृजन करना;
- (च) बिहार स्टार्ट अप पोर्टल की स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन ।—
- (छ) स्टार्टअप्स का प्रमाणीकरण ।
- (ज) नीति के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु समिति के साथ प्रत्येक तिमाही समीक्षा बैठक का आयोजन ।
- (झ) राज्य सरकार की अन्य नीतियों के साथ नीति का संरेखण या पंक्तिबद्धता;
- (ञ) आवश्यकतानुसार इस नीति में संशोधन या उपांतरण करना;
- (ट) इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के अन्य विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना;
- (ठ) स्टार्ट-अप को निधि सहायता देने के लिए आशावादी नीतियों का सृजन करने हेतु सरकारी एजेंसी और सेबी आदि जैसी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के साथ संपर्क (लाइजन) करना;
- (ड) विश्व बैंक, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के साथ, स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय सहायता हेतु संपर्क (लाइजन) करना;
- (ढ) स्टार्ट-अप द्वारा बिहार में स्थापना और प्रचालन के दौरान की जानेवाली किसी कठिनाई का निराकरण करना;
- (ण) इस नीति की वार्षिक समीक्षा करना;
- (त) इस नीति का संपूर्ण मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन करना;
- (थ) स्टार्ट-अप के लिए राज्य में नया बाजार चिन्हित करना एवं उसका विकास करना;

11.5 वित्तीय प्रबंधन कंपनी की भूमिका:

ट्रस्ट द्वारा स्थापित वित्तीय प्रबंधन कंपनी द्वारा निम्न गतिविधियाँ की जायेगी:

- (क) ट्रस्ट का आस्ति प्रबंधन;
- (ख) फंड मैनेजर की नियुक्ति
- (ग) इस नीति में उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन, निबंधन, अनुज्ञा पत्र, शून्य खर्च, आईपीआर एवं अन्य सभी राजकोषीय जैसे खर्च को नीति में सुकर बनाना;
- (घ) स्टार्ट-अप को बीज अनुदान, आरंभिक चरण एवं उर्ध्ववर्ती निधि देने और इस नीति में अधिकथित अन्य निधि सहायता जैसी निधि के लिए सहायता;
- (ङ) उद्यमिता विकास सेल तथा उद्यमिता सुविधा केन्द्र को स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता ।
- (च) स्टार्ट अप्स के लिए बुनियादी ढांचों के विकास एवं प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता ।
- (छ) इस नीति के अनुसार स्टार्ट-अप में निवेश;
- (ज) इस नीति के अधीन समयबद्ध रीति से लिए गए निर्णयों से संबंधित निवेश को सुकर बनाना;
- (झ) नीति एवं स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का, समय-समय पर निर्धारण;
- (ञ) समय-समय पर नीति में संशोधन के सुझाव ।
- (ट) नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया पर पैनी निगाह रखना;
- (ठ) बहुपक्षीय एवं दानदाता ऐजेंसियों से स्टार्ट-अप के लिए निधि की उगाही करना ।

11.6 स्टार्टअप निवेश सलाहकार समिति (SIAC)

राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप निवेश सलाहकार समिति प्रतिस्थित एवं अनुभवी पेशेवरों को मिलाकर गठित किया जायेगा ।

SIAC की गतिविधियाँ निम्न रूप से होंगी :

- (क) इस नीति के तहत आवेदकों के अनुशंसित सूची में से स्टार्टअप्स को प्रमाणित करना ।
- (ख) निजी इन्क्यूबेटर्स के पैनल तैयार करने में ट्रस्ट को सहयोग प्रदान करना ।
- (ग) एंजेल ग्रुप एवं श्रेणी 1 वैकल्पिक निवेश कोष के पैनल तैयार करने में ट्रस्ट को सहयोग प्रदान करना ।

(घ) बिहार में स्टार्टअप्स के लिये वेन्चर कैपिटल फंड का पैन्ल तैयार करने एवं फंड ऑफ फंड्स में निवेश हेतु ट्रस्ट तथा वित्तीय प्रबंधन कंपनी को सहयोग प्रदान करना ।

(ड.) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ट्रस्ट को सलाह देना ।

(च) नीति के प्रदर्शन की समीक्षा एवं ट्रस्ट को सलाह देना ।

ऐसे विषयों के लिए समिति की बैठक कुछ दिनों के अंतराल पर आयोजित की जाएगी और दो बैठकों के बीच किसी भी स्थिति में 90 दिनों से अधिक अंतराल नहीं होगा। समिति की यह बैठक स्वयं या वास्तविक प्रौद्योगिकी का उपयोग यथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सम्मेलन कॉल के माध्यम से किया जायेगा जिसमें सभी सदस्यों द्वारा आपस में सभी सदस्यों को सूना जा सकेगा।

11.7 उत्तरदायित्व साँचा :


क्रमांक	कार्य	उत्तरदायित्व
1.	स्टार्ट-अप का प्रमाणीकरण	SIAC ट्रस्ट को सलाह देगा
2.	जागरूकता अभियान, राज्य स्तरीय चुनौतियाँ/ प्रतियोगिता और बिहार स्टार्ट-अप महोत्सव	वित्तीय प्रबंधन कंपनी/किसी अन्य एजेंसी की सहायता से ट्रस्ट
3.	उद्यमिता विकास कोषांग उद्यमिता सहायता केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय प्रबंधन कंपनी की सहायता से ट्रस्ट
4.	बिहार स्टार्ट-अप मुख्य द्वार पोर्टल स्थापित करना	वित्तीय प्रबंधन कंपनी/किसी अन्य एजेंसी की सहायता से ट्रस्ट
5.	किसी व्यवसाय को चलाने के लिए अपेक्षित विभिन्न अधिनियम के अधीन कानूनी अनुज्ञा पत्र/निबंधन	सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति
6.	शिक्षातंत्र में सुधारों की अनुशंसा	तकनीकी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता से ट्रस्ट
7.	निधि/प्रोत्साहन का मूल्यांकन	वित्तीय प्रबंधन कंपनी

क्रमांक	कार्य	उत्तरदायित्व
8.	स्टार्ट-अप में निवेश	वित्तीय प्रबंधन कंपनी
9.	स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन सहायता	वित्तीय प्रबंधन कंपनी
10.	कॉमन आधारभूत संरचना और बिहार नवीकरण हब	ट्रस्ट/वित्तीय प्रबंधन कंपनी
11.	शून्य खर्च आईपी निबंधन	वित्तीय प्रबंधन कंपनी

12. सौहार्दपूर्ण वातावरण में की गई कार्रवाई से संरक्षण:

- (क) न्यास, वित्तीय प्रबंधन कंपनी, स्टार्टअप निवेश सलाहकार समिति या शामिल किसी भी अधिकारी के संबंध में जो इस नीति के कार्यान्वयन में अच्छे इरादे से कार्य किया गया हो या किये जाने वाले कार्य तथा इस नीति के अधीन कोई भी निर्गत आदेश, कार्यकारी अनुदेश या दिशा निर्देश अच्छे इरादे से किया गया हो, तो उस पर कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं लाई जा सकती है ।
- (ख) न्यास, वित्तीय प्रबंधन कंपनी, स्टार्टअप निवेश सलाहकार समिति या किसी भी अधिकारी के संबंध में जो इस नीति के कार्यान्वयन में नुकसान या कुछ भी करने का इरादा या इस नीति के अधिन अच्छे विश्वास में किया गया कार्य या इसके अधिक किसी आदेश, कार्यकारी अनुसरण या दिशा देने का इरादा के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लाया जा सकता है ।
13. बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016 को दिनांक-17.03.2017 से निरसित कर दी गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(डॉ. एस. सिद्धार्थ)


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 357 / पटना, दिनांक: 17.03.2017

सं0सं0- 4तक0 / बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी / 88 / 2016


प्रतिलिपि: राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।


(डॉ. एस. सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक: 357 / पटना, दिनांक: 17.03.2017

सं0सं0- 4तक0 / बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी / 88 / 2016

प्रतिलिपि :- सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, उद्योग निदेशालय / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / निदेशक, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास निगम, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(डॉ. एस. सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।




बिहार सरकार

उद्योग विभाग बिहार सरकार

विकास भवन, पटना-800 001 (बिहार) भारत
www.industries.bih.nic.in

www.startup.bihar.gov.in

Helpline No.: +91 - 612 - 254 7695



BIHAR START-UP POLICY, 2017



Govt. of Bihar

Department Of Industries, Govt. Of Bihar

BIHAR START-UP POLICY, 2017



Govt. of Bihar

Department Of Industries, Govt. Of Bihar

Table of Contents

1	Preamble	1
2	Vision	2
3	Policy Period	2
4	Objectives	3
5	Definitions	4
6	What is Start-Up in Bihar?	6
7	Yes to Start-Up	8
8	Unleash Regulatory Enablers for supporting Start-Ups	10
9	Vibrancy in Education System	12
10	Access to Funding and Incubation Support	13
11	Institutional Framework	18
12.	Protection of action taken in good faith	23

1. Preamble

- 1.1 Bihar is progressing fast on the track of development, with unrelenting efforts being made towards strengthening infrastructure and promoting industrial growth. Government of Bihar is committed to improve competitiveness of the state's economy and achieving inclusive growth. This can be realized by promoting innovation and creating an ecosystem that nurture startups from concept to commissioning.
- 1.2 Bihar has the advantage of a demographic dividend given the high proportion of youth in its population; there are limited employment opportunities for them to make productive economic contribution. Youth grow in a job-oriented society where entrepreneurship is not seen as a career option. Moreover, the current educational system is designed in a manner that places limited emphasis on entrepreneurship.
- 1.3 One of the most exciting features is the ability of these Startups to rapidly build scale and become global players. The chances of success are greatly increased when these businesses are supported with an appropriate eco system. Bihar has an opportunity to develop its own world class eco system, the talent; resources and ambition are most certainly present in the State. Startups are expected to play a vital role in the emergence of the Bihar economy. The development of this segment is most critical to meet the national imperatives of financial inclusion and generation of employment across urban, semi-urban and rural areas across the State. The new wave of Startups will act as a catalyst to bring about this socio-economic transformation.
- 1.4 In order to unlock the innovation potential of Bihar, a need of conducive and friendly Startup policy has been realized. With this policy framework along with private participation, the Government aims to enhance the depth and breadth of startup ecosystem in Bihar. Hence accelerating GSDP growth, contribute to the creation of thousands of jobs, counteract the process of brain drain and rejuvenating the next wave of economic growth in the State.

- 1.5 Government of Bihar formulated and notified Bihar Startup Policy, 2016 vide Resolution No. – 1849 dated 7th September, 2016. This is to create an independent and transparent eco system, where the State shall provide funding, promotion and policy support. The State has setup a Trust, with an initial corpus of INR 500 Cr., which acts as the nodal agency for implementation of this policy.
- 1.6 The State Government received very promising feedback including areas of improvement in implementation of the policy from various stakeholders. In order to address the feedback received and further strengthen the policy, Government of Bihar repeals the Bihar Startup Policy, 2016 and promulgates the Bihar Startup Policy 2017

2. Vision

- 2.1 The vision for the Bihar Startup Policy, 2017:

“To enable Bihar emerge as the most preferred destination for start-ups and entrepreneurs by leveraging the potential of local youth through a conducive startup ecosystem for inclusive growth in the State”

- 2.2 Bihar Startup Policy has been designed on following four pillars (YUVA)

YES to Start-ups (Awareness, Networking and Mentoring Campaign)

Unleash Regulatory Enablers for Supporting Start-ups

Vibrancy in Education System to encourage and facilitate Start-ups

Access to financing & incubation support

3. Policy Period

Bihar Start-Up Policy, 2017 will be effective from the date of Notification and will remain in operation for 5 years.

4. Objectives

- 4.1 Introduce, promote and encourage entrepreneurship education and career amongst the youth through various programs like “Udyami Bihar, Samridh Bihar Campaign”, Entrepreneurship Awards, Innovation Challenges and Business Plan Competitions etc.
- 4.2 Facilitate development of Entrepreneurship Development Centers in Divisional Towns and Nagar Nigam(s);and Entrepreneurship Facilitation Centers to increase awareness and promote entrepreneurship amongst the youth.
- 4.3 Create a sector-agnostic policy, enabling innovation in any and all possible sectors of development focusing upon: initiatives that leverage natural resources and human capital of the State, innovative and disruptive ideas with huge growth potential and initiatives in the areas which create multiplier impact.
- 4.4 Encourage Entrepreneurship through education by introducing learning modules in the university/ schools, MOOC (Massive Open Online Courses), Internships amongst others.
- 4.5 Facilitate development of new and support expansion of existing Incubators/common infrastructure spaces.
- 4.6 Provide a one stop comprehensive portal for startups to access financial support (SEBI registered- Alternate investment funds, Empanelled Angel Investor, etc.), regulatory support, Network of mentors and Empanelled Project Management Consultants.
- 4.7 Enable hassle-free and time bound statutory clearances for startups.
- 4.8 Create a platform for accessing multiple avenues that provide financial support and encourage investors through incentives to invest in Bihar based startups.
- 4.9 Create an inclusive policy which embarks groups like SC/ ST, woman enterprise and differently- abled.
- 4.10 Provide appropriate institutional support to enable the nurturing of startups.

5. Definitions

- 5.1 **Angel Investor:** Angel Investor is (also known as business angel/informal investor) an individual or group of investors who invest in startups at an early commercialization stage in return of convertible debt/equity.
- 5.2 **Alternate Investment Funds:** Alternative investment funds (AIFs) are defined in Regulation 2(1) (b) of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012. It refers to any privately pooled investment fund, (whether from Indian or foreign sources), in the form of a trust or a company or a body corporate or a Limited Liability Partnership (LLP) which are not presently covered by any Regulation of SEBI governing fund management (like, Regulations governing Mutual Fund or Collective Investment Scheme) nor coming under the direct regulation of any other sectoral regulators in India-IRDA, PFRDA, RBI.
- 5.3 **Category I Alternate Investment Funds:** Category I Alternate Investment Funds are defined in Regulation 3(4) (a) of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012. It refers to AIFs which invest in start-up or early stage ventures or social ventures or SMEs or infrastructure or other sectors or areas which the government or regulators consider as socially or economically desirable and include venture capital funds, SME Funds, social venture funds, infrastructure funds and such other Alternative Investment Funds as may be specified;
- 5.4 **Commercialization Stage:** Commercialization Stage refers to an integral stage in lifecycle of startup wherein startups scale up their business and commercialize product/ services.
- 5.5 **Expert Committee:** An Expert Committee shall be constituted as per para 11.6
- 5.6 **Differently-abled:** As defined in “Person with disability (equal opportunities, protection of rights and full participation) Act, 1995 and any other statute enacted for the welfare of person with disability.

- 5.7 **Entity:** Entity refers to Private Limited Company (under The Companies Act, 2013) or a Registered Partnership Firm (under The Indian Partnership Act, 1932) or Limited Liability Partnership (under The Limited Liability Partnership Act, 2008).
- 5.8 **Family Business:** A family business is one in which the majority of the stake is held by the person who has established or acquired the company (or by his or her parents, spouse, child or child's direct heir) and at least one representative of the family is involved in the management (either directly or indirectly) administration of the business.
- 5.9 **Financial Management Company:** A Financial Management Company shall be created by the Trust as per para 11.3.
- 5.10 **Fund Manager:** Financial Management Company shall appoint one or more fund managers for managing the fund and also activities mentioned under this policy.
- 5.11 **Government:** Means Government of Bihar in this Policy unless otherwise specified.
- 5.12 **Idea Stage:** Idea Stage refers to an integral stage in lifecycle of startups wherein feasibility analysis of the idea is performed to evaluate the success/failure of the concept.
- 5.13 **Incubator:** Incubator means physical spaces which helps entrepreneurs to convert their ideas in becoming successful and profitable ventures by supporting them in business planning, mentoring, recruiting their top team, commercializing their technologies, developing their products, getting early seed funding, help in forging partnerships at the national and global level, advice on intellectual property, training and development and many other things. This could be a private agency or a government institution.
- 5.14 **Mentoring:** Mentoring is generally a pool of industry experts/ academicians that help startups by providing unbiased guidance, strategic support and thinking and help them build their network.
- 5.15 **Registered:** Registered refers to an entity registered with Registrar of Companies (RoC) Bihar.

- 5.16 **Seed Grant:** Seed Grant is a financial assistance provided to startups to develop a prototype product and generate sufficient investor interest for subsequent rounds of funding. Terms and conditions of the financial assistance are mentioned in para 10.5.1.
- 5.17 **Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribes (ST) Enterprise:** Enterprise fully owned by SC/ST. Partial shareholding of SC/ST in an enterprise shall not be treated as SC/ST enterprise.
- 5.18 **State Supported Incubators:** means incubator(s) supported by Government of Bihar and/or Government of India.
- 5.19 **TBI:** A Technology Business Incubator (TBI) as recognized by Department of Science and Technology, Government of India.
- 5.20 **Trust:** Trust means a nodal agency constituted by Department of Industries, Government of Bihar under The India Trusts Act, 1882 for the purpose of implementation of this Policy.
- 5.21 **Validation Stage:** Validation Stage refers to an integral stage in lifecycle of startups wherein the product/service is produced and delivered in a limited capacity which can be scaled up upon the success and requirement.
- 5.22 **Venture Capital:** Venture Capital is the fund invested in start-up at commercialization stage upon critical appraisal of the project undertaken by venture capital companies. The capital is generally invested in return of equity shareholding.
- 5.23 **Woman Enterprise:** An enterprise headed by woman where 100% stake is owned by woman. Partial shareholding of Woman in an enterprise shall not be treated as Woman enterprise.

6. What is Start-Up in Bihar?

- 6.1 Startup means an entity, incorporated or registered in Bihar not prior to five years with an annual turnover not exceeding INR 25 Cr. in any preceding financial year, working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property.

- a. Provided also that an entity shall cease to avail further benefits under this policy if its turnover for the previous financial years has exceeded INR 25 Cr. and/ or it has completed 5 years from the date of incorporation/ registration unless the context otherwise stated;
- b. Provided that such entity is not formed by splitting up, or reconstruction, of a business already in existence and should not have been formed by the demerger or reconstitution of a business already in existence;
- c. Provided that such entity is not a holding company and it is not a subsidiary of any firm already in existence or except the subsidiary of any startup;
- d. Provided further applicable taxes from the operations of the company are payable in Bihar.

6.2 Certification of Startups

All applications of potential startups received by the Trust shall undergo a preliminary examination by a committee set up by the Trust headed by the Principal Secretary/ Secretary, Industries Department. After preliminary examination a list of shortlisted applications shall be tagged to the concerned subject related incubators. The List of all such tagging (applicants with incubators) shall be approved by the Trust. The Incubators after the incubation process shall prepare a proposal on the following issues:

- a. The amount of funding assistance required at various stages
- b. Any requirement of common infrastructure or other infrastructure created under this policy.
- c. Any assistance as envisaged under this policy.
- d. Business Plan.

The list of such recommendations/proposals of the incubators shall be placed before the Expert Committee as mentioned in para 11.6. The Expert Committee shall examine these recommendations and

recommend for certification of startups. The Trust on the recommendation of the Expert Committee shall certify Startups. It is only after this certification that the startups shall be eligible for financial incentives under this policy.

6.3 **Exit Conditions**

- a. If the company is found guilty on any charges of fraud or if the company is found to have made any false declarations to claim any benefits from or derived under this policy. Legal action shall be initiated to recover all financial assistance provided to such an entity.
- b. Once an entity ceases to be recognized as a start-up; the Government or entity through which the Government makes its investment will be eligible to exit its investment in the start-up and guidelines for exit will be framed by trust for channelizing investments into the start-up. When the Government or its representative entity exits its investment; the right to nominate a representative director on the board of the start-up will also be extinguished.

7. **Yes to Start-Up**

7.1 **Promoting Awareness “Udyami Bihar, Samridh Bihar Campaign” and Facilitating Networking Platform for Startups**

Bihar has the advantage of a demographic dividend given the high number of youth in its population and there are limited employment opportunities for them to make productive economic contribution. Youth in India grow in a job-oriented society where entrepreneurship is not seen as a career option. Moreover, educational system is designed in a manner that places limited emphasis on entrepreneurship. Government is committed to encourage entrepreneurship as an education and career both, for the youth across all economic and social segments of the population. It is essential to foster a culture that positively values entrepreneurs as a crucial factor to achieve inclusive economic growth. In order to reform the cultural

perception of society towards entrepreneurship and inculcate entrepreneurial culture amongst youth, Government shall:

- a. Launch Startup outreach and awareness campaign “Udyami Bihar, Samridh Bihar” at State level in collaboration with startup stakeholders
- b. Recognize and promote achievements of successful local startups by organizing 'Entrepreneurship Awards'.
- c. Organize state level challenges/ business plan competitions
- d. Support business networks (Industry Associations/Organizations promoting Startups) to organize startup awareness activities such as startup fairs

7.1.1 A proper networking amongst various stakeholders' viz. investors, academia, industry and other stakeholders is critical for an effective startup ecosystem. The startup community needs a platform to inter communicate at a national and international level to exchange and collaborate amongst each other.

7.1.2 Government for creating an effective startup ecosystem shall organize 'Bihar Startup Fest', a platform to amalgamate the startup ecosystem and provide visibility to State startups.

7.2 Assistance for Idea Development

Conducive startup ecosystem enables youth to convert their ideas into meaningful propositions. A proper guidance system is essential for youth to express and enhance their ideas. In order to spread awareness and provide guidance to potential entrepreneurs, State shall provide financial assistance to facilitate:

- a. Setting up Entrepreneurship Development Cells in Divisional towns and Nagar Nigam(s) in collaboration with Education Institutes, Bihar based industrial associations/organizations promoting startups.
- b. Setting up Entrepreneurship Facilitation Centers at Educational & Professional Institutes.

7.2.1 These Cells/Centers shall:

- a. Organize various promotional events to disseminate awareness about entrepreneurship and promote startup culture in the state under “Udyami Bihar, Samridh Bihar Campaign”.
- b. Provide assistance to students/potential entrepreneurs for presenting and enhancing their idea to various stakeholders of start-up ecosystem viz. Government, education institutes, incubators, industry experts, legal, tax and business consultants.
- c. Support startups for preliminary mentoring and business plan support, company registration, market research support, business structuring advisory and management consultancy.

8. Unleash Regulatory Enablers for supporting Startups

8.1 **Setting up comprehensive one stop portal for Startup- Ecosystem in Bihar**

Statutory clearances from relevant regulatory authorities are pre-requisite for a start-up to commence operations. Limited awareness of the processes increases the turnaround time for registration, hence delays the commencement of operations for the Startups. A single window clearance system supported by interactive training manuals and checklist would enable Startups to register themselves in an easy and timely manner.

Start-up ecosystem needs a single platform for interaction and collaboration with each other. In order to establish a single platform for interaction and information sharing of various stakeholders, a Startup Bihar portal shall be launched. This portal shall provide instant accessibility to startups for:

- a. Accessing interactive tutorials for registration process and checklist for the various clearances required with specified timelines.

- b. Registering with relevant authority and filling various State Level compliances at State level through standardized forms.
- c. The portal shall also be integrated with other Government of India sponsored Startup Portals for connecting with various stakeholders of the ecosystem.
- d. Interacting and collaborating with various stakeholders viz. Registered network of mentors and professional experts, incubators, academia, empanelled Project Management Consultants and angel investors, SEBI-registered AIFs (Alternate Investment funds) and other stakeholders.
- e. Empanelled mentors of networks to startups having potential for growth and scalability.
- f. Accessing various State Government Schemes and Incentives available for Startups.

The portal shall also be made available in form of a mobile app and supported by a Toll free helpline to facilitate application/ assistance. Clearances for registration/ application shall be ensured in a time bound manner.

8.2 **Optimizing Regulatory Framework- Enabling regulatory environment for Startup Ecosystem**

Starting up a business involve getting various stages of departmental approval and clearances. Most of the startups are unaware of the complex policies and regulatory framework, which may hinder their regular operations. Therefore, it is imperative for Government to minimize the regulatory compliances, punitive actions and provide support /awareness to these propellers of next stage economic growth.

In line with above, Government shall enhance the ease of doing business by minimizing inspections and encouraging self-certifications:

- a. Startups shall be exempted from licensing/registration for

operations under various State Acts for a period of 5 years. However, Statutory Licenses (such as Drug License, FSSAI, Building Plan, Fire Fighting) shall be required to be obtained by the startup if its nature of business/activity may lead to potential threat to life and safety, in such cases Government shall bear the cost of license(s).

- b. Startup shall be exempted from inspections by Government Regulatory Agencies for a period of five years unless there is threat to life and safety. In case a unit has to be inspected for certain reasons the permission of the District Magistrate shall be obtained.
- c. Self Declaration shall be submitted by Startups annually as per the format prescribed by State Government.
- d. State Government Departments/ PSUs shall be advised to give preference to Startups in procurement process for products/ services
- e. State Government shall allot 10% of spaces in forthcoming industrial parks, SME Clusters and Hub for Startups/Incubators/ Common Shared Infrastructure on preference.

9. Vibrancy in Education System

Education institutes provide an apt environment for introducing and educating entrepreneurship for promoting the culture of innovation. Government recognizes the importance of reforms in education for creating entrepreneurial spirit amongst students.

In order to promote startup culture and innovation in youth of Bihar, Government shall facilitate/recommend following interventions:

- a. Embed Entrepreneurship modules in high schools, university, skill training, and vocational training institutes' curriculums/ programs. Education institutes will be suggested to introduce Massive Open Online Courses (MOOCs) as electives and make internships/apprenticeship mandatory.

- b. Education / Professional Institutes shall be supported to formulate Entrepreneurship Facilitation Centre to guide and assist students to pursue entrepreneurship.
- c. Organize Business/Innovation Idea Competitions amongst students. Shortlisted ideas shall be provided support for prototyping and will be showcased in Start-up Fest organized by the State.
- d. Organize social innovation challenge through Entrepreneurship Development Cells to provide challenge grant to 20 social innovators to support their ideas.

10. Access to Funding and Incubation Support

10.1 Facilitating Incubation Centers for Startups

Incubation centers are crucial for nurturing promising Startups. They provide access to mentoring network, market network, shared physical infrastructure etc. Creation of Physical Infrastructure generally requires large capital investments. Considering this, following incentives/financial assistance shall be provided to startups:

- a. Financial assistance for setting up of new incubators and expanding State supported Incubators.
- b. Reimburse cost of incubating a startup maximum up to Rs 2 Lakhs per incubatee to Government recognized private / state supported incubators.
- c. Fiscal incentive to Incubators @2% of the investment received by its incubatee from SEBI registered AIFs (Alternate Investment Funds) into Bihar based startups.
- d. Fiscal Grant to State Supported Incubators @3% of the investment received by its incubatees from SEBI registered AIFs (Alternate Investment Funds) or Grant received from Government of India for promoting technology based (IPR) startups and @5% for startups in social sectors providing

solutions to public service access problems in Bihar in areas like health, education and nutrition etc.

- e. The Government shall provide financial assistance to match the funding raised by Incubator(s) from Government of India and Multilateral donor agencies on 1:1 basis on same terms and conditions.

10.2 List of State Supported Host Institutes

Pilot Institutes (Phase-I)

- a) Indian Institute of Technology (IIT), Patna
- b) National Institute of Technology (NIT), Patna

Host Institutes (Phase-II)

- c) Rajendra Agricultural University, Pusa
- d) ICAR Research Complex for Eastern Region, Patna
- e) National Institute of Fashion Technology (NIFT), Patna
- f) Birla Institute of Technology, Patna
- g) Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Bihar
- h) UpendraMaharathi Institute, Patna
- i) Chandragupta Institute of Management, Patna
- j) Tool Room and Training Center, Patna
- k) Bihar Agricultural University, Sabour
- l) Apparel Training and Design Centre, Patna

The pilot institutes shall extend all possible handholding support to establish incubators in other State Supported Host Institutes in a phased manner. The State Government shall from time to time declare new institutions as State Sponsored institutions under this policy.

10.3 Common Infrastructure for Start-ups

Government shall facilitate creation of common infrastructure for Startups. The shared infrastructure shall include:

- a. Co-working spaces.
- b. Provide shared facilities like R&D labs, cubicles, conference rooms etc.
- c. Shared software and hardware like high-end printer, computers etc.
- d. Common testing labs and tool rooms.
- e. Shared services like legal, accounting, technology, patents, investment banking.
- f. Individual accommodation and hostel rooms
- g. Community events and promotional support for incubation and startups
- h. Common facilities Centers (warehouse, Storage, Quality Assurance labs)

Common infrastructure spaces shall be established either by Government or through PPP mode. This support shall be available on Free of Cost (FOC) basis to Startups for a period of 3 years.

- 10.4 Apart from the incubation centres, a **“Bihar Innovation Hub”** shall be developed preferably on PPP basis (viability to be assessed by trust) which shall provide all services of an incubator including shared work spaces, professional business advisory/consultancy; access to funding and also provide support at commercialization stage including networking and merger & acquisition, valuation advisory amongst others. This innovation hub shall be further expanded into virtual incubator to widespread its reach.

10.5 **Funding Support to Start-ups**

Funding support shall be provided to Startups in various stages of its business cycle.

Validation Stage:

10.5.1 *Seed Funding Support*

A Seed Grant upto Rs 10 Lakhs per start-up as interest free loan for 10 years shall be provided to startups. This financial assistance shall be released on achieving milestones/phases and performance parameters defined by Incubation Center and the trust. The financial assistance shall be provided to startups for validation of idea, prototype development, assistance towards travelling costs and carrying out field/ market research/ skill training/ marketing and initial activities to setup a startup etc. The actual amount of funding shall be based on the assessment made jointly by the incubation centre and the Expert Committee. The loan shall be returned after 10 years. An amount equal to 5% of the seed grant shall also be contributed by the Incubatee into the startup.

Commercialization Stage

10.5.2 *Early Stage Funding Support*

- a. Free of cost Valuation for Startups.
- b. Facilitate access to Angel Investors.
- c. A success fee @2% of investment shall be provided to startups for mobilizing investments from state registered angel investors towards early stage funding.
- d. A financial assistance equal to the amount invested in startup by the Angel Groups and Category I Alternate Investment Fundsshall be given as loan to the Startup. The rate of interest and terms and conditions of the loan shall be notified by the Trust from time to time.

10.5.3 *Scale-up Funding Support*

- a. The Trust may participate in SEBI registered AIFs (Alternate Investment Funds) and Venture Capital Funds, upto 25% as Limited Partner. The Venture Capital Fund so created shall invest at least 50% (i.e. equal to twice the contribution made by trust in the VC Fund) in startups located in Bihar.

- b. The Trust shall facilitate listing and public issue of Startups in collaboration with National Level Stock Exchanges such as BSE/ NSE.

Incentives/ provisions under Bihar Industrial Incentive Policy in force will be available to startups. However the incentive for the same component cannot be claimed from more than one scheme.

Efforts will be made to leverage relevant benefits available under various schemes of Government of India.

10.6 **Zero Cost for filing patents – Domestic and Foreign**

Intellectual Property (IP) is an invaluable business tool for startups, or entrepreneurs, providing initial start to one's business. IP gives an exclusive right to the creator over the use of his/her' creation for a certain period of time. With increasing new avenues in businesses, “the Intellectual Capital” has become one of the key wealth drivers in present era. In today's competitive and dynamic environment, IP can be unique selling proposition (USP) of the product or service allowing high entry barrier for startups to grow faster than competitors. Investors weigh IPs heavily and create good value for venture.

In order to encourage the registration of IPRs (Intellectual Property Right) by Startups and provide facilitation support for protection and commercialization of IPRs, Government shall:

- a. Bear all costs associated towards filing domestic patents.
- b. Provide additional financial assistance in form of reimbursement for awarded foreign patents towards filing fees.

10.7 **Additional incentives to SC/ST/Women /Differently-Abled**

Incentives listed below shall solely be applicable to startups which are fully owned by any one person of this category or a group /mix of the person defined in this category only. Efforts shall be made to

identify persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe and promote entrepreneurship among them.

10.7.1 The Trust may set up Project Management Units to specifically handhold them in setting up their ventures.

10.7.2. Entrepreneurs under this category will avail additional grant / exemption / subsidy than the limit fixed under clause 10.5.1 and 10.5.2 of this policy

a) Woman Enterprise-additional 5%

b) SC/ST-additional 15%

c) Differently Abled- additional 15%

10.7.3 Additionally, 22% (20% SC/2%ST) of the total corpus for funding startups shall be reserved for SC/ST.

10.7.4 Based upon the requirement, Government shall relax the eligibility criteria, as stated in clause 6.1, for certifying startups belonging to SC/ST/ women and differently abled.

11. Institutional Framework

11.1 A Trust is an autonomous body constituted under the Chairmanship of a professional with an experience in investments in companies. The composition of Trust shall be:

Expert in area of investment or the Development Commissioner till such appointment is made by the Government	Chairperson
Principal Secretary/ Secretary, Industries	Member- Secretary
Principal Secretary, Finance	Member
Principal Secretary, Planning	Member

Principal Secretary, Science and Technology	Member
Two Principal Secretaries/ Secretaries to be nominated by the Government	2- Members
Director IIT Patna, Director NIT Patna, Director CIMP.	3- Members
Representatives of Associations, Organisations and Institutions promoting Entrepreneurship	3- Members
Special Invitee members (Subject/Sector experts)	2- Members
Representative of Financial Management Company	2– Members

11.2 **Single Window Clearance Committee**

All Statutory Licenses/Clearances required by startups (if not exempted otherwise under this policy) shall be facilitated on priority basis. This committee shall constitute of:

- Principal Secretary, Industries
- Representative for concerned departments

The committee shall ensure time bound clearances for all the matters as stated in the policy.

11.3 **Financial Management Company**

The Trust shall set up a Financial Management Company to carry out the financial operations of the Trust. The Financial Management Company shall disburse incentives, loans and other financial assistance to the Startups as decided by the Trust.

11.4 **Role of Trust**

As the nodal agency for this Policy, Trust shall be entrusted with the

following roles and responsibilities:

- a. Management of awareness campaign for promotion of entrepreneurship amongst youth of Bihar
- b. Support Entrepreneurship Development Cells and Entrepreneurship Facilitation Centers
- c. Creating and managing common infrastructure for Startups
- d. Recommend reforms encouraging entrepreneurship in education.
- e. Creation of customized index to track the quality of Startup ecosystem by benchmarking national and international level
- f. Setting up, Operations and Management of Startup Bihar Portal
- g. Certification of Startups
- h. Conduct quarterly review meetings with committee for progress in the policy implementation
- i. Alignment of the Policy with other policies of State Government
- j. Amendment(s) and Modification(s), if any, required of the policy
- k. Liaison with other State Departments for effective implementation of the policy
- l. Liaison with Government Agencies and other agencies at national level like SEBI, etc to create optimal policies for funding assistance to startup
- m. Liaison with Multilateral Financial Institutions like World Bank, IFC for financial support to Startups.
- n. Resolution of any difficulty faced by startups during establishment and operations in Bihar
- o. Annual review of the Policy
- p. Overall Monitoring and Implementation of the Policy
- q. Identify and develop new markets for Startups in the State

11.5 Role of Financial Management Company

The Financial management Company setup by the trust shall carry out the following activities:

- a. Asset Management of the trust
- b. Appointment of Fund Manager
- c. Facilitation of incentives in the policy such as cost of registration and licensing, zero-cost IPR and all other fiscal incentives stated in the policy
- d. Assistance for funding to Startups such as seed grant, early stage and scale-up funding and other funding support stated in the policy
- e. Financial assistance to set up Entrepreneurship Development Cells and Entrepreneurship Facilitation Centers
- f. Financial assistance in Creating and managing common infrastructure for Startups
- g. Investments in Startups as per this policy.
- h. Facilitate Investment related decisions under the policy in a time bound manner.
- i. Periodic assessment of policy and startup ecosystem
- j. Timely amendment and suggestion of the policy
- k. Keeping vigilant eye on policy implementation procedure
- l. Raise funds from Multilateral and Donor Agencies

11.6 Startup Investment Advisory Committee (SIAC)

The State Government shall set up an Expert Committee called the Startup Investment Advisory Committee consisting of eminent and experienced professionals. The SIAC shall carry out the following activities:

- a. Recommend the list of applicants under this policy to be certified as startups
- b. Assist the Trust in creating of a panel of Private Incubators
- c. Assist the Trust in creating a panel of Angel Groups and Category I Alternate Investment Funds
- d. Assist the Trust and the Financial Management Company to create a panel of Venture Capital Funds and aid in decision making of investments in Fund of Funds for Startups in Bihar.
- e. Advise the Trust on various issues related to the implementation of the Policy
- f. Advise the Trust and review the performance of the policy.

The Committee shall meet frequently for such matter(s) and gap between the two consecutive meetings shall not be more than 90 days. The meeting of the committee can be conducted in person or virtually using technology such as video conferencing, conference calls whereby the members can hear and be heard by the other members of the committee.

11.7 Responsibility Matrix

S No.	Task	Responsibility
1.	Certification of Start-ups	Trust on the advise of the SIAC
2.	Awareness Campaign. State Level Challenge/ Competition & Bihar Startup Fest	Trust with assistance of Financial Management Company /any other agency(s)
3.	Financial Assistance for setting up of Entrepreneurship Development Cell/ Entrepreneurship Facilitation Centre	Trust with assistance of Financial Management Company

S No.	Task	Responsibility
4.	Setting up One Stop Bihar Startup Portal	Trust with assistance of Financial Management Company/any other agency(s)
5.	Statutory License/ Registration under various Acts required for running a business	Single Window Clearance Committee
6.	Recommend Reforms in Education System	Trust with assistance of Technical Higher Education Institutes
7.	Funding/Incentive(s) appraisal	Financial Management Company
8.	Investments in Startups	Financial Management Company
9.	Incubation Support for Startups	Financial Management Company
10.	Common Infrastructure and Bihar Innovation Hub	Trust/ Financial Management Company
11.	Zero Cost IP Registration	Financial Management Company


12. Protection of action taken in good faith

- a. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against Trust, Financial Management Company, Startup Investment Advisory Committee or any official involved in the implementation of this policy in respect of anything which is done or intended to be done in good faith under this policy or in pursuance of any order, executive instruction or direction made or given thereunder.
- b. No suit or other legal proceeding shall lie against the Trust, Financial Management Company, Startup Investment Advisory Committee or any official involved in the implementation of this policy for a damage caused or likely to be caused by anything which is done or

intended to be done in good faith under this policy or in pursuance of any order, executive instruction or direction made or given thereunder.

13. Bihar Startup Policy, 2016 has been repealed with effect from dated 17.03.2017.

By order of Governor of Bihar




(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna.

No.: 357/ Patna, Dated - 17.03.2017

Copy to :- State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar Gazette. Request to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.




(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna.

No.: 357/ Patna, Dated - 17.03.2017

Copy to :- For information and necessary action - To all Department/ department Head/Commissioner, Commercial Taxes/Managing Director, all Corporations under Department of Industries/Bihar Industrial Area Development Authority/Chief Executive Officer, Bihar State Khadi and Village Industries Board, Patna/Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna/ All Divisional Commissioner/All District Magistrates/All Deputy Development Commissioner/Director, Technical Development/Director Industries/Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/All General Manager, DIC/Director, MSME Development Institute, Patna/Muzaffarpur.



(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna.



विहार सरकार

**Department Of Industries
Government Of Bihar**

Vikash Bhawan, Patna-800 001 (Bihar) India
www.industries.bih.nic.in

www.startup.bihar.gov.in

Helpline No.: +91 - 612 - 254 7695

Agreement

This Agreement is between

Bihar Startup Fund Trust, Herein after referred to as the **FIRST PARTY**,

And,

----- (Name of the Entity) whose registered office is at
----- and the registration date is ----- is
Herein after referred to as the **SECOND PARTY**,

The **SECOND PARTY** agrees to the terms and conditions below :-

- 1) Selected Startups will be given certificate of recognized Startup under Bihar Startup Policy 2017.
- 2) Total amount of interest free loan herein after referred to as FUNDS will be given to the SECOND PARTY in 3 tranches wherein first tranche will be 25% of the total amount, second tranche will be 50% of the total amount and the third tranche will be 25 % of the total amount. The SECOND PARTY shall furnish the details of how the funds have been utilized before claiming the next installment.
- 3) The SECOND PARTY shall utilize the FUNDS for the purpose as mentioned in the BIHAR STARTUP POLICY 2017. The funds shall not be used for any purpose not defined in the STARTUP POLICY 2017.
- 4) In case it is found that the SECOND PARTY has not utilized the funds as per the guidelines of BIHAR STARTUP POLICY 2017 or have misutilised the FUNDS then the FUNDS shall be recovered with immediate effect from the SECOND PARTY.
- 5) The SECOND PARTY shall return the startup loan within 10 years from the date of the signing of this agreement.
- 6) In case the SECOND PARTY does not refund the amounts as mentioned in clauses 4 and 5 above the funds shall be recovered under the Public Demand Recovery Act prevalent at that time.
- 7) The SECOND PARTY shall submit a performance report to the incubator at the end of every year till the loan has been fully repaid. The Incubator shall submit the report to the FIRST PARTY on receipt of such reports from the SECOND PARTY. In case the incubator at any times finds that the FIRST PARTY has misutilised the FUNDS, the incubator shall immediately send a report to the FIRST PARTY in this regard.

- 8) Failure of the SECOND PARTY to submit report shall mean that the SECOND PARTY has violated the provisions of the BIHAR STARTUP POLICY 2017 and the funds shall be recovered with immediate effect.
- 9) The Principal Secretary shall be the arbitrator in matters of dispute between the FIRST PARTY and the SECOND PARTY.
- 10) All dispute if arises, will be taken care in the Patna High Court Jurisdiction only.

FIRST PARTY

SECOND PARTY

WITNESS

(INCUBATOR)